Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies
Online Copy of Document Available on: www.svajrs.com

ISSN:2584-105X **Pg. 423-430**

भारतीय समाज में हाशिए पर खड़ी महिलाओं के उत्थान में डॉ. अंबेडकर के चिंतन की भूमिका

Harsha
M.A. in Political Science, University of Delhi, UGC NET Qualified (Dec 2024),
Assistant Professor (Guest Faculty), Bhagini Nivedita College, University of Delhi

Accepted: 12/04/2026
Published: 22/04/2026 ***DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.21793764***

सार

यह शोध-पत्र भारतीय समाज में हाशिए पर स्थित महिलाओं के उत्थान के संदर्भ में डॉ. भीमराव अंबेडकर के चिंतन की वैचारिक, ऐतिहासिक और समकालीन भूमिका का विश्लेषण करता है। अध्ययन का आधार यह मान्यता है कि महिलाओं का हाशियाकरण केवल पितृसत्ता से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि जाति, वर्ग, जनजातीय स्थिति, धर्म, क्षेत्र, श्रम, शिक्षा, दिव्यांगता और संपत्ति-विहीनता जैसी संरचनाएं उसे बहुस्तरीय बनाती हैं। अंबेडकर ने जाति को अंतर्विवाह, सामाजिक पृथक्करण और श्रेणीबद्ध असमानता पर आधारित व्यवस्था के रूप में समझते हुए यह दिखाया कि स्त्री की देह, विवाह और प्रजनन पर नियंत्रण जाति के पुनरुत्पादन का केंद्रीय साधन है। उनके लिए शिक्षा, संगठन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक स्वतंत्रता, श्रम-अधिकार, संपत्ति में समानता, वैवाहिक न्याय और संवैधानिक अधिकार महिला-मुक्ति के परस्पर संबद्ध आयाम थे। यह गुणात्मक और दस्तावेज-आधारित अध्ययन अंबेडकर के लेखन, भाषणों, विधायी हस्तक्षेपों, संविधान, महिला आंदोलनों के इतिहास तथा समकालीन सामाजिक आंकड़ों का विश्लेषण करता है। निष्कर्षतः अंबेडकरी चिंतन हाशिए की महिलाओं को कल्याण की निष्क्रिय लाभार्थी के स्थान पर अधिकार-संपन्न नागरिक और ज्ञान-निर्माता के रूप में स्थापित करता है। इसकी वर्तमान प्रासंगिकता तभी प्रभावी होगी जब नीतियां जाति और लिंग के संयुक्त प्रभाव को पहचानें तथा शिक्षा, श्रम, संपत्ति, प्रतिनिधित्व और न्याय तक वास्तविक पहुंच सुनिश्चित करें।

मुख्य शब्द: *डॉ. अंबेडकर, हाशिए की महिलाएँ, जाति, पितृसत्ता, सामाजिक न्याय, शिक्षा, श्रम-अधिकार, संवैधानिक नैतिकता*

1. प्रस्तावना

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए केवल पुरुष और महिला के द्वैत पर आधारित विश्लेषण पर्याप्त नहीं है। जाति, वर्ग, जनजातीय पहचान, धर्म, भाषा, क्षेत्र, वैवाहिक स्थिति, दिव्यांगता और श्रम-संबंध महिलाओं के जीवन-अवसरों को अलग-अलग ढंग से प्रभावित करते हैं। एक ही कानूनी अधिकार सभी महिलाओं को समान परिणाम नहीं देता, क्योंकि अधिकार के उपयोग के लिए शिक्षा, आय, सामाजिक सुरक्षा, गतिशीलता, दस्तावेज, संस्थागत समर्थन और हिंसा से संरक्षण आवश्यक होते हैं। हाशिए पर खड़ी महिला वह है जिसकी नागरिकता औपचारिक रूप से मान्य होने के बावजूद सामाजिक संबंधों और संस्थागत प्रक्रियाओं में उसकी आवाज, संसाधनों तथा निर्णय-क्षमता को सीमित किया जाता है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर का चिंतन इस जटिलता को समझने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। उन्होंने जाति को केवल व्यवसाय या धार्मिक पहचान की व्यवस्था नहीं माना, बल्कि इसे श्रेणीबद्ध असमानता, सामाजिक पृथक्करण और नियंत्रित विवाह पर आधारित सत्ता-संरचना के रूप में विश्लेषित किया। इस दृष्टि में स्त्री की स्थिति सहायक विषय नहीं, बल्कि जाति की निरंतरता को समझने की कुंजी है। जातीय सीमाओं को बनाए रखने के लिए समुदाय स्त्रियों के विवाह, यौनिकता, गतिशीलता और प्रजनन पर नियंत्रण स्थापित करता है। इस प्रकार स्त्री की स्वतंत्रता पर हमला और जाति की रक्षा एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं (अंबेडकर, 1916)।

अंबेडकर का महिला-विमर्श केवल सैद्धांतिक आलोचना तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने शिक्षा, सार्वजनिक आंदोलनों, श्रम कानून, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक लोकतंत्र और पारिवारिक कानून में परिवर्तन को महिला-मुक्ति से जोड़ा। उनकी दृष्टि में समानता का अर्थ संरक्षण देने वाला पितृसत्तात्मक सुधार नहीं, बल्कि अधिकार, प्रतिनिधित्व और आत्मसम्मान की ऐसी संरचना है जिसमें महिलाएं स्वयं निर्णय ले सकें। इसीलिए अंबेडकरी विचार हाशिए की महिलाओं के उत्थान को दया या कल्याण के बजाय न्याय और लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त के रूप में प्रस्तुत करता है।

2. अध्ययन की समस्या, उद्देश्य और पद्धति

अध्ययन की समस्या यह है कि अंबेडकर को प्रायः केवल जाति-विरोधी चिंतक या संविधान-निर्माता के रूप में सीमित कर दिया जाता है, जबकि उनके विचारों में जाति, लिंग, श्रम, धर्म, संपत्ति और राज्य के संबंध का व्यापक विश्लेषण मिलता है। दूसरी ओर महिला-अध्ययन के कुछ प्रारंभिक प्रतिमानों ने महिलाओं के अनुभव को एकसमान मानकर दलित, आदिवासी, श्रमिक और गरीब महिलाओं की विशिष्टता को पर्याप्त स्थान नहीं दिया। इस शोध का पहला उद्देश्य अंबेडकर के चिंतन में स्त्री और जाति के संबंध की पहचान करना है। दूसरा उद्देश्य शिक्षा, आंदोलन, श्रम-अधिकार, पारिवारिक कानून और संविधान के माध्यम से महिला-उत्थान के उनके कार्यक्रम का विश्लेषण करना है। तीसरा उद्देश्य वर्तमान सामाजिक स्थितियों में इस चिंतन की उपयोगिता और सीमाओं का मूल्यांकन करना है।

अध्ययन गुणात्मक, व्याख्यात्मक और दस्तावेज-आधारित है। प्राथमिक स्रोतों में अंबेडकर के जाति, स्त्री, धर्म, संविधान, श्रम और हिंदू संहिता संबंधी लेखन तथा भाषण शामिल हैं। द्वितीयक स्रोतों में दलित नारीवादी अध्ययन, अंबेडकरी आंदोलन का इतिहास, जाति और पितृसत्ता पर शोध तथा आधिकारिक सामाजिक आंकड़े लिए गए हैं। विश्लेषण के लिए 5 आयाम अपनाए गए हैं: संरचनात्मक निदान, अधिकार की अवधारणा, संस्थागत हस्तक्षेप, महिला की अभिकर्ता-स्थिति और समकालीन नीति-निहितार्थ। यह अध्ययन अंबेडकर के विचारों को उनके समय और सामाजिक संघर्षों की पृष्ठभूमि में पढ़ता है; साथ ही उन्हें आलोचना से परे किसी स्थिर सिद्धांत के रूप में नहीं मानता।

3. हाशियाकरण की अवधारणा और अंतःसंबद्ध असमानता

हाशियाकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कुछ समूह संसाधनों, प्रतिष्ठा, निर्णय और सार्वजनिक प्रतिनिधित्व के केंद्र से दूर रखे जाते हैं। महिलाओं के मामले में यह प्रक्रिया परिवार, समुदाय, श्रम-बाजार, विद्यालय, राज्य और सांस्कृतिक विमर्श में एक साथ कार्य कर सकती है। दलित महिला जातिगत अपमान, लैंगिक हिंसा और आर्थिक शोषण का संयुक्त अनुभव कर सकती है; आदिवासी महिला विस्थापन, भूमि-अधिकार और राज्य की विकास परियोजनाओं से प्रभावित हो सकती है; मुस्लिम या अन्य अल्पसंख्यक महिला धार्मिक पूर्वाग्रह के साथ लैंगिक असमानता का सामना कर सकती है; तथा प्रवासी या घरेलू श्रमिक महिला असंगठित श्रम और सामाजिक सुरक्षा के अभाव से प्रभावित होती है।

दलित नारीवादी चिंतन ने इस बात पर बल दिया कि सामाजिक स्थान अनुभव और ज्ञान दोनों को आकार देता है। जब मुख्यधारा का नारीवाद जाति को गौण मानता है और जाति-विरोधी राजनीति लिंग को निजी विषय समझती है, तब दलित महिलाओं की आवाज दोनों स्थानों पर अस्पष्ट हो सकती है। इसलिए हाशिए की महिलाओं के उत्थान का विश्लेषण प्रतिनिधित्व की संख्या तक सीमित नहीं होना चाहिए; यह भी पूछा जाना चाहिए कि कौन बोलता है, किस

अनुभव को ज्ञान माना जाता है और संस्थाएं किसकी भाषा को वैधता देती हैं (गुरु, 1995)।

अंबेडकरी दृष्टि अंतःसंबद्धता शब्द के प्रचलन से पहले ही जाति और स्त्री-नियंत्रण के संरचनात्मक संबंध की ओर संकेत करती है। हालांकि उनके समस्त लेखन में आज की सभी पहचानों का समान विस्तार नहीं मिलता, फिर भी श्रेणीबद्ध असमानता की उनकी अवधारणा बहुस्तरीय वंचन को समझने का मजबूत आधार देती है। इस अवधारणा में उत्पीड़न केवल ऊपर और नीचे का द्वैत नहीं है; प्रत्येक जातीय स्तर अपने से नीचे के समूह पर प्रभुत्व और अपने से ऊपर के प्रति अधीनता का संबंध बना सकता है। महिलाओं के बीच भी विशेषाधिकार और वंचना के भिन्न स्तर इसी सामाजिक संरचना से प्रभावित होते हैं।

4. जाति की पुनरुत्पत्ति और स्त्री पर नियंत्रण

अंबेडकर के प्रारंभिक समाजशास्त्रीय लेख में जाति की उत्पत्ति और स्थायित्व को समझने के लिए अंतर्विवाह को केंद्रीय माना गया। किसी समूह को बंद जाति बनाए रखने के लिए विवाह योग्य स्त्री-पुरुषों के अनुपात, विधवा-विवाह, बाल-विवाह और स्त्री की यौनिकता पर नियंत्रण आवश्यक होता है। इस विश्लेषण का महत्त्व यह है कि वह जाति को पुरुषों द्वारा संचालित सार्वजनिक संस्था और पितृसत्ता को अलग घरेलू व्यवस्था नहीं मानता। जाति की सीमा परिवार और विवाह के भीतर पुनर्निर्मित होती है; इसलिए स्त्री की स्वतंत्र पसंद जातीय अनुशासन के लिए खतरा बनती है।

ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की अवधारणा इसी संबंध को आगे समझाती है। जातीय शुद्धता की धारणा महिलाओं के नियंत्रित व्यवहार, विवाह और मातृत्व से जुड़ी होती है, पर इसका प्रभाव सभी जातियों पर समान नहीं पड़ता। उच्च जाति की स्त्रियों पर यौनिक नियंत्रण और घरेलू बंदिशें अधिक कठोर हो सकती हैं, जबकि निम्न जाति की स्त्रियां श्रम, यौन शोषण और सामाजिक अपमान के संयुक्त जोखिम में रह सकती हैं। इस बहुस्तरीय व्यवस्था में पितृसत्ता जाति के अनुसार अलग रूप ग्रहण करती है (चक्रवर्ती, 2003)।

जाति-विनाश के अंबेडकर के कार्यक्रम का नारीवादी अर्थ इसलिए गहरा है। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को जातीय सीमाओं को तोड़ने का महत्त्वपूर्ण साधन माना, किंतु विवाह की स्वतंत्रता के लिए केवल कानूनी अनुमति पर्याप्त नहीं होती। परिवार, समुदाय और स्थानीय सत्ता द्वारा हिंसा, बहिष्कार तथा आर्थिक दंड की संभावना महिलाओं की पसंद को सीमित करती है। अतः अंबेडकरी तर्क का समकालीन विस्तार सुरक्षित आवास, कानूनी सहायता, पुलिस उत्तरदायित्व, संपत्ति-अधिकार और सामाजिक समर्थन की मांग करता है। जाति-विनाश तभी स्त्री-मुक्ति से जुड़ेगा जब महिला को समुदाय की प्रतिष्ठा का वाहक नहीं, स्वतंत्र नागरिक माना जाए।

5. शिक्षा: आत्मसम्मान, विवेक और सामाजिक गतिशीलता

अंबेडकर ने शिक्षा को व्यक्तिगत उन्नति से अधिक सामाजिक मुक्ति का साधन माना। शिक्षा व्यक्ति को अपमान की संरचना पहचानने, अधिकार की भाषा अर्जित करने और संगठित राजनीतिक कार्रवाई में भाग लेने की क्षमता देती है। हाशिए की महिलाओं के संदर्भ में शिक्षा का अर्थ विद्यालय में प्रवेश भर नहीं है; इसमें सुरक्षित वातावरण, निरंतर उपस्थिति, उच्च शिक्षा तक संक्रमण, छात्रावास, आर्थिक सहायता, डिजिटल पहुंच और भेदभाव से संरक्षण सम्मिलित हैं। शिक्षा महिला को विवाह और परिवार से बाहर पहचान, आय और सार्वजनिक संवाद की संभावना प्रदान करती है।

दलित महिलाओं की आधुनिक शिक्षा का इतिहास दर्शाता है कि विद्यालय तक पहुंच जाति और लिंग दोनों से बाधित रही। परिवार की आर्थिक स्थिति, घरेलू श्रम, विद्यालय की दूरी, जातिगत अपमान और विवाह की अपेक्षा ने उनकी शैक्षिक प्रगति को प्रभावित किया। फिर भी शिक्षित दलित महिलाओं ने अध्यापन, लेखन, संगठन और सार्वजनिक सेवा के माध्यम से नई सामाजिक भूमिकाएं निर्मित कीं। इस प्रक्रिया को केवल ऊपर की ओर गतिशीलता नहीं, बल्कि ज्ञान और सम्मान की राजनीति के रूप में समझना चाहिए (पाइक, 2014)।

अंबेडकरी शिक्षा-दृष्टि आलोचनात्मक विवेक पर आधारित है। ऐसी शिक्षा जो केवल प्रमाणपत्र दे पर सामाजिक श्रेणियों को प्रश्न न करे, मुक्ति की सीमित संभावना रखती है। पाठ्यक्रम में जाति, महिला आंदोलनों, श्रम और संविधान का समावेश आवश्यक है ताकि विद्यार्थी असमानता को प्राकृतिक या परंपरागत व्यवस्था न समझें। हाशिए की महिलाओं के जीवन-लेखन, मौखिक इतिहास और स्थानीय ज्ञान को अकादमिक सामग्री में स्थान देना प्रतिनिधित्व का प्रश्न भी है। इससे वे अध्ययन की वस्तु के बजाय ज्ञान की निर्माता के रूप में दिखाई देती हैं।

समकालीन उच्च शिक्षा में महिला भागीदारी का बढ़ना सकारात्मक परिवर्तन है। 2023–24 में महिला सकल नामांकन अनुपात 31.2 और लैंगिक समानता सूचकांक 1.08 दर्ज किया गया। फिर भी समग्र औसत जाति, क्षेत्र, विषय, संस्थान की गुणवत्ता और उच्चतर शोध स्तर पर मौजूद अंतर को छिपा सकता है। अंबेडकरी दृष्टि हमें संख्या के साथ संस्था के भीतर अनुभव, आर्थिक सहायता, संकाय प्रतिनिधित्व और निर्णयकारी पदों तक पहुंच का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है (शिक्षा मंत्रालय, 2026)।

6. संगठन, आंदोलन और महिला की अभिकर्ता-स्थिति

अंबेडकर का प्रसिद्ध आह्वान शिक्षा, संगठन और संघर्ष को परस्पर संबद्ध करता है। संगठन का अर्थ अनुयायी बनाना नहीं, बल्कि सामूहिक तर्क, नेतृत्व और अधिकार-आधारित कार्रवाई की क्षमता विकसित करना है। महाड़ सत्याग्रह, मंदिर प्रवेश आंदोलनों और अंबेडकरी सम्मेलनों में महिलाओं की भागीदारी ने सार्वजनिक क्षेत्र में दलित स्त्री की नई उपस्थिति निर्मित की। महिलाओं ने केवल पुरुष नेतृत्व का समर्थन नहीं किया; उन्होंने पहनावे, स्वच्छता, शिक्षा, विवाह, धार्मिक प्रथाओं और आत्मसम्मान पर अपने विचार व्यक्त किए। (जेलियट, 1992)।

अंबेडकरी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का इतिहास दर्शाता है कि राजनीतिक अभिकर्ता बनने की प्रक्रिया घरेलू और सार्वजनिक दोनों मोर्चों पर संघर्षपूर्ण थी। महिलाओं ने सभाएं आयोजित कीं, भाषण दिए, सत्याग्रह में भाग लिया, पत्रिकाओं में लिखा और सामुदायिक सुधार को आगे बढ़ाया। इन अनुभवों को मुख्य राजनीतिक इतिहास में पर्याप्त स्थान न मिलने से आंदोलन की लिंगगत संरचना अस्पष्ट रही। महिला कार्यकर्ताओं की स्मृतियां इस धारणा को चुनौती देती हैं कि सामाजिक परिवर्तन केवल महान पुरुष नेताओं द्वारा संचालित होता है (पवार और मून, 2008)।

अभिकर्ता-स्थिति का अर्थ यह नहीं कि हाशिए की महिलाएं सभी संरचनात्मक बाधाओं से मुक्त हो गईं। संगठन के भीतर भी नेतृत्व, भाषण और संसाधनों पर पुरुष प्रभुत्व संभव है। अंबेडकरी परंपरा का लोकतांत्रिक उपयोग तभी होगा जब महिला संगठन स्वतंत्र प्रश्न उठा सकें और जाति-विरोधी राजनीति में घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, अवैतनिक देखभाल तथा संपत्ति के मुद्दों को केंद्रीय स्थान मिले। प्रतिनिधित्व को प्रतीकात्मक उपस्थिति से आगे बढ़ाकर कार्यसूची निर्माण और संसाधन-निर्णय तक ले जाना आवश्यक है।

7. श्रम, आर्थिक नागरिकता और सामाजिक सुरक्षा

अंबेडकर के लिए राजनीतिक लोकतंत्र आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र से अलग नहीं था। औद्योगिक श्रम, काम के घंटे, मजदूरी, सामाजिक बीमा, मातृत्व संरक्षण और श्रमिक कल्याण पर उनका ध्यान इस व्यापक दृष्टि को व्यक्त करता है। हाशिए की महिलाएं प्रायः कृषि, घरेलू कार्य, निर्माण, सफाई, देखभाल और अन्य असंगठित क्षेत्रों में कार्य करती हैं, जहां रोजगार संबंध अस्पष्ट और सामाजिक सुरक्षा सीमित होती है। इसलिए महिला-उत्थान को केवल स्वरोजगार या कौशल प्रशिक्षण तक सीमित करना अपर्याप्त है; उसे सम्मानजनक मजदूरी, सुरक्षित कार्यस्थल, मातृत्व अधिकार, सामूहिक सौदेबाजी और वृद्धावस्था सुरक्षा से जोड़ना होगा।

आर्थिक स्वतंत्रता का संबंध संपत्ति और समय पर नियंत्रण से भी है। महिला आय अर्जित करे, पर उसकी आय पर परिवार का नियंत्रण हो या अवैतनिक देखभाल का बोझ बना रहे, तो उसकी निर्णय-क्षमता सीमित रह सकती है। जाति-आधारित व्यवसाय और श्रम का अवमूल्यन दलित महिलाओं के लिए अतिरिक्त बाधा उत्पन्न करता है। अंबेडकर का श्रेणीबद्ध असमानता का विश्लेषण श्रम के सम्मान को सामाजिक न्याय का प्रश्न बनाता है, क्योंकि कुछ समुदायों के काम को आवश्यक मानते हुए भी उनके श्रमिकों को अपमानित किया जाता है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023–24 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की सामान्य स्थिति पर श्रम बल सहभागिता दर 41.7 प्रतिशत तथा कामगार जनसंख्या अनुपात 40.3 प्रतिशत दर्ज किया गया। वृद्धि महत्त्वपूर्ण है, पर सहभागिता की गुणवत्ता, मजदूरी, रोजगार की नियमितता और कार्य की सुरक्षा का पृथक विश्लेषण आवश्यक है। ग्रामीण पारिवारिक उद्यम में अवैतनिक कार्य को आर्थिक सशक्तिकरण मान लेना भ्रामक हो सकता है। अंबेडकरी दृष्टि सहभागिता के साथ श्रम की गरिमा और अधिकार का प्रश्न उठाती है (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 2024)।

हाशिए की महिलाओं के लिए आर्थिक नागरिकता में भूमि, घर, उत्तराधिकार, ऋण और सार्वजनिक खरीद तक पहुंच शामिल होनी चाहिए। समूह-आधारित ऋण योजनाएं उपयोगी हो सकती हैं, किंतु उन्हें बाजार, प्रशिक्षण, बीमा और कानूनी सहायता से जोड़ना आवश्यक है। सफाई, घरेलू सेवा या पारंपरिक जातीय श्रम से बाहर निकलने की इच्छा रखने वाली महिलाओं को शिक्षा और वैकल्पिक रोजगार का वास्तविक अवसर मिलना चाहिए। आर्थिक नीति तभी मुक्ति-दायी होगी जब वह महिला को सस्ता श्रम या परिवार की पूरक आय के रूप में नहीं, स्वतंत्र श्रमिक और संपत्ति-अधिकारयुक्त नागरिक के रूप में देखे।

8. पारिवारिक कानून, संपत्ति और हिंदू संहिता विधेयक

अंबेडकर ने परिवार को न्याय से बाहर निजी क्षेत्र मानने से इनकार किया। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और संपत्ति संबंधी नियम महिलाओं की नागरिकता को सीधे प्रभावित करते हैं। हिंदू संहिता विधेयक के माध्यम से एकविवाह, तलाक के अधिकार, उत्तराधिकार और संपत्ति में महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयास सामाजिक लोकतंत्र की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम था। विधेयक का विरोध यह दर्शाता है कि राजनीतिक समानता स्वीकार करने वाला

समाज पारिवारिक सत्ता में परिवर्तन से कितना असहज हो सकता है।

अंबेडकर ने विधेयक को पर्याप्त प्राथमिकता न मिलने पर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया। इस घटना का नारीवादी महत्त्व केवल त्यागपत्र में नहीं, बल्कि इस तर्क में है कि संविधान द्वारा प्रदत्त समानता परिवार और व्यक्तिगत कानून की संरचनाओं तक पहुंचनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में मताधिकार और पद की समानता उस समय अधूरी रहती है जब महिला विवाह से बाहर निकलने, संपत्ति रखने या संतान संबंधी निर्णय में स्वतंत्र न हो। हिंदू संहिता पर उनका हस्तक्षेप सामाजिक सुधार और संवैधानिक अधिकार के बीच संबंध को स्पष्ट करता है (अंबेडकर, 1951)।

आज विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों, उत्तराधिकार की व्यवहारगत बाधाओं, वैवाहिक संपत्ति और घरेलू श्रम के मूल्यांकन पर बहस जारी है। अंबेडकरी दृष्टि किसी समुदाय की संस्कृति को स्थिर और आलोचना से परे मानने के बजाय व्यक्ति की गरिमा और समानता को मानक बनाती है। फिर भी कानून सुधार को समुदाय के विरुद्ध राज्य की एकतरफा कार्रवाई के रूप में नहीं, महिलाओं की भागीदारी, कानूनी साक्षरता और प्रभावी न्याय-प्रवेश के साथ विकसित करना चाहिए। केवल वैधानिक अधिकार तब निष्प्रभावी हो सकता है जब सामाजिक बहिष्कार, मुकदमे की लागत या हिंसा महिला को दावा करने से रोकती हो।

9. संविधान, सामाजिक लोकतंत्र और संवैधानिक नैतिकता

भारतीय संविधान समानता, भेदभाव-निषेध, अवसर की समानता, अस्पृश्यता के उन्मूलन, जीवन और स्वतंत्रता, शोषण से सुरक्षा तथा कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन का आधार प्रदान करता है। महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति औपचारिक समानता और वास्तविक समानता के बीच अंतर को स्वीकार करती है। संविधान सामूहिक रूप से निर्मित दस्तावेज है, किंतु प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अंबेडकर ने अधिकार, संस्थागत संतुलन और सामाजिक लोकतंत्र की चर्चा को निर्णायक रूप दिया (भारत सरकार, 1950)।

अंबेडकर ने चेतावनी दी कि राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक और आर्थिक असमानता के साथ लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को उन्होंने अलग-अलग आदर्श नहीं, बल्कि परस्पर निर्भर जीवन-पद्धति माना। हाशिए की महिलाओं के संदर्भ में यह त्रयी स्पष्ट अर्थ रखती है: स्वतंत्रता बिना सुरक्षा और संसाधन के औपचारिक रह सकती है; समानता बिना सम्मान और प्रतिनिधित्व के अधूरी है; तथा बंधुत्व बिना जाति और लैंगिक पदानुक्रम को चुनौती दिए संभव नहीं। संवैधानिक नैतिकता समाज की प्रचलित नैतिकता से भिन्न हो सकती है, क्योंकि परंपरा स्वयं अन्याय का स्रोत बन सकती है।

संवैधानिक अधिकारों की प्रभावशीलता संस्थागत पहुंच पर निर्भर है। पुलिस, न्यायालय, विद्यालय, पंचायत, बैंक और कल्याण विभाग में भेदभाव या उदासीनता अधिकार को कमजोर कर सकती है। हाशिए की महिला को शिकायत दर्ज कराने, प्रमाण जुटाने, भाषा समझने, यात्रा करने और कार्यवाही जारी रखने के लिए सहायता चाहिए। इसलिए कानूनी सेवा, समुदाय-आधारित परामर्श, महिला संरक्षण केंद्र और उत्तरदायी स्थानीय प्रशासन संवैधानिक नागरिकता के व्यावहारिक आधार हैं। अंबेडकरी चिंतन अधिकार और संस्था के बीच इसी संबंध को रेखांकित करता है।

10. अंबेडकरी चिंतन के प्रमुख आयाम

तालिका 1: अंबेडकरी चिंतन और महिला-उत्थान के नीति-निहितार्थ

आयाम	अंबेडकरी तर्क	हाशिए की महिलाओं के लिए निहितार्थ
शिक्षा	ज्ञान आत्मसम्मान और मुक्ति का साधन है	सुरक्षित विद्यालय, छात्रवृत्ति, छात्रावास, उच्च शिक्षा और डिजिटल पहुंच
जाति और विवाह	अंतर्विवाह जाति की सीमा को पुनरुत्पादित करता है	विवाह की स्वतंत्रता, हिंसा से संरक्षण और सुरक्षित सहायता
श्रम	आर्थिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र की शर्त है	सम्मानजनक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और जातीय श्रम से विकल्प
परिवार और संपत्ति	निजी क्षेत्र भी न्याय और समानता के अधीन है	तलाक, उत्तराधिकार, वैवाहिक संपत्ति और निर्णय की स्वतंत्रता
राजनीतिक प्रतिनिधित्व	संगठन और प्रतिनिधित्व से वंचित समूह अपनी कार्यसूची बनाते हैं	प्रतीकात्मक उपस्थिति से आगे निर्णयकारी शक्ति और संसाधन
संवैधानिक नैतिकता	परंपरा से ऊपर व्यक्ति की गरिमा और समानता	न्याय-प्रवेश, संस्थागत उत्तरदायित्व और भेदभाव-निरोध

11. समकालीन भारतीय समाज में प्रासंगिकता

समकालीन भारत में महिलाओं की शिक्षा, वित्तीय समावेशन और डिजिटल पहुंच में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई देती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार इंटरनेट का कभी उपयोग करने वाली महिलाओं का अनुपात 64.3 प्रतिशत, स्वयं उपयोग किए जाने वाले बैंक या बचत खाते का अनुपात 89.0 प्रतिशत और स्वयं उपयोग किए जाने वाले मोबाइल फोन का अनुपात 63.6 प्रतिशत दर्ज किया गया। ये संकेतक महिला की सूचना, वित्त और संचार तक बढ़ती पहुंच दर्शाते हैं, किंतु औसत आंकड़े जाति, क्षेत्र, आय और शिक्षा के आधार पर मौजूद डिजिटल अंतर को स्पष्ट नहीं करते (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 2026)।

डिजिटल पहुंच स्वयं सशक्तिकरण नहीं है। फोन महिला के नाम पर हो सकता है, पर उसके उपयोग की निगरानी परिवार करे; बैंक खाता खुला हो सकता है, पर लेन-देन पर अन्य व्यक्ति का नियंत्रण हो; इंटरनेट उपलब्ध हो सकता है, पर भाषा, कौशल और ऑनलाइन हिंसा के कारण उसका उपयोग सीमित हो। अंबेडकरी दृष्टि औपचारिक उपलब्धता और वास्तविक क्षमता के बीच अंतर पर ध्यान दिलाती है। डिजिटल नागरिकता के लिए निजी उपयोग, सुरक्षित पहचान, भाषा-सुलभ सामग्री, साइबर उत्पीड़न से संरक्षण और आर्थिक निर्णय की स्वतंत्रता आवश्यक है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व में स्थानीय निकायों के आरक्षण ने महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाई है, किंतु हाशिए की निर्वाचित महिलाओं को प्रॉक्सी नियंत्रण, जातिगत बहिष्कार, संसाधनों की कमी और प्रशासनिक भाषा की बाधा का सामना करना पड़ सकता है। प्रतिनिधित्व का अंबेडकरी अर्थ केवल सीट प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वतंत्र विचार, संगठित आधार और निर्णयकारी अधिकार है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण, कानूनी सहायता, सुरक्षित शिकायत व्यवस्था और वित्तीय अधिकार आवश्यक हैं। दलित तथा आदिवासी महिला प्रतिनिधियों पर हिंसा या अपमान को सामान्य राजनीतिक संघर्ष मानकर अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का जातिगत आयाम भी गंभीर है। यौन हिंसा कई संदर्भों में व्यक्तिगत अपराध के साथ सामाजिक प्रभुत्व का संदेश बनती है। पीड़िता के समुदाय, आर्थिक स्थिति और स्थानीय सत्ता-संबंध के कारण पुलिस तथा न्याय तक पहुंच बदल सकती है। अंबेडकरी चिंतन हिंसा को केवल नैतिक पतन नहीं, सत्ता और श्रेणीबद्धता की अभिव्यक्ति के रूप में पढ़ने में सहायता करता है। इसलिए रोकथाम में कानून के साथ भूमि-संबंध, श्रम निर्भरता, सुरक्षित सार्वजनिक स्थान, गवाह संरक्षण और समुदाय में समानता की शिक्षा शामिल होनी चाहिए।

धर्मांतरण और बौद्ध धम्म की ओर अंबेडकर का रुख आत्मसम्मान, समानता और नैतिक समुदाय की खोज से जुड़ा था। हाशिए की महिलाओं के लिए धार्मिक परिवर्तन का अनुभव एकरूप नहीं है, किंतु अंबेडकरी बौद्ध दृष्टि कर्मकांडीय पदानुक्रम के स्थान पर प्रज्ञा, करुणा और समता को नैतिक आधार देती है। यह महिला को पवित्रता और अपवित्रता के जातिगत मानकों से बाहर नई पहचान की संभावना प्रदान करती है। फिर भी किसी भी धार्मिक समुदाय में समानता स्वतः स्थापित नहीं होती; संस्थागत नेतृत्व और दैनिक व्यवहार में लैंगिक लोकतंत्र की निरंतर आवश्यकता रहती है। (अंबेडकर, 1957)।

12. आलोचनात्मक मूल्यांकन

अंबेडकरी चिंतन की सबसे बड़ी शक्ति उसका संरचनात्मक दृष्टिकोण है। वह महिला की अधीनता को व्यक्तिगत व्यवहार या पिछड़ी मानसिकता तक सीमित नहीं करता, बल्कि जाति, परिवार, धर्म, श्रम और राज्य की संस्थाओं से जोड़ता है। इससे नीति का केंद्र केवल जागरूकता अभियान से हटकर संसाधनों और सत्ता के पुनर्वितरण की ओर जाता है। शिक्षा, संपत्ति, प्रतिनिधित्व और न्याय के परस्पर संबंध को समझना आज भी उतना ही आवश्यक है जितना अंबेडकर के समय था।

दूसरी शक्ति अधिकार और अभिकर्ता पर बल है। हाशिए की महिला को पीड़िता या कल्याण की प्राप्तकर्ता के रूप में चित्रित करने से उसकी राजनीतिक क्षमता अदृश्य हो जाती है। अंबेडकरी आंदोलन का इतिहास दिखाता है कि महिलाओं ने स्वयं संगठन, लेखन और सत्याग्रह के माध्यम से परिवर्तन किया। दलित नारीवादी दृष्टिकोण इसी अभिकर्ता को ज्ञान-निर्माण में भी स्थान देता है और मुख्यधारा के प्रतिनिधित्व को चुनौती देता है (रेगे, 1998)।

फिर भी अंबेडकर के लेखन को वर्तमान सभी प्रश्नों का पूर्ण और तैयार उत्तर मानना उचित नहीं होगा। यौनिक विविधता, दिव्यांगता, पर्यावरणीय विस्थापन, डिजिटल मंचों और देखभाल अर्थव्यवस्था जैसे समकालीन विषय उनके समय में वर्तमान रूप में उपस्थित नहीं थे। उनके मूल मानकों—गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, तर्क और संस्थागत न्याय—का रचनात्मक विस्तार आवश्यक है। इसी प्रकार, अंबेडकरी संगठनों और राजनीति को भी अपने भीतर के लैंगिक पदानुक्रम की आलोचना स्वीकार करनी चाहिए।

एक अन्य सीमा यह है कि संवैधानिक और विधायी उपलब्धियां सामाजिक व्यवहार में स्वतः परिवर्तित नहीं होतीं। जाति का प्रभाव आधुनिक संस्थाओं, बाजार, आवास, विवाह मंचों और डिजिटल संचार में नए रूप ग्रहण कर सकता है। कानून के साथ सामाजिक आंदोलन, सार्वजनिक शिक्षा, आर्थिक पुनर्वितरण और सांस्कृतिक परिवर्तन आवश्यक हैं। अंबेडकर स्वयं सामाजिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर बल देते थे; इसलिए उनके चिंतन की प्रासंगिकता को केवल प्रतीक, जयंती या उद्धरण तक सीमित करना उसकी परिवर्तनकारी क्षमता को निष्प्रभावी करना होगा।

13. नीतिगत सुझाव

हाशिए की महिलाओं के लिए सभी प्रमुख योजनाओं और सार्वजनिक आंकड़ों में जाति, जनजातीय स्थिति, आय, क्षेत्र, दिव्यांगता और वैवाहिक स्थिति के अनुसार पृथक विश्लेषण किया जाना चाहिए। आंकड़ा-संग्रह का उद्देश्य समुदायों को कलंकित करना नहीं, बल्कि अदृश्य असमानताओं की पहचान और संसाधन का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। लाभार्थी संख्या के साथ सेवा की गुणवत्ता, निर्णय-क्षमता, सुरक्षा और दीर्घकालिक परिणाम मापे जाएं।

शिक्षा में छात्रवृत्ति के समयबद्ध भुगतान, सुरक्षित छात्रावास, परिवहन, परामर्श, भेदभाव-निरोधक प्रकोष्ठ और उच्च शिक्षा में मार्गदर्शन को एकीकृत किया जाए। पाठ्यचर्या में अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, दलित और आदिवासी महिला लेखन तथा श्रम इतिहास को गंभीर अकादमिक सामग्री के रूप में स्थान मिले। हाशिए की छात्राओं की डिजिटल पहुंच के लिए निजी उपकरण, सस्ती संपर्क सेवा और स्थानीय भाषा में गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई जाए।

आर्थिक नीति में न्यूनतम मजदूरी के प्रवर्तन, घरेलू और देखभाल श्रमिकों के पंजीकरण, मातृत्व तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, भूमि और आवास के संयुक्त या स्वतंत्र स्वामित्व, और सार्वजनिक खरीद में महिला-नेतृत्व वाले वंचित उद्यमों के अवसर बढ़ाए जाएं। ऋण को बाजार, कौशल, बीमा और कानूनी सहायता से जोड़े बिना सशक्तिकरण का दावा नहीं किया जाना चाहिए। जाति-आधारित अपमानजनक श्रम से मुक्ति के लिए पुनर्वास और वैकल्पिक रोजगार को अधिकार के रूप में लागू किया जाए।

न्याय-व्यवस्था में स्थानीय कानूनी सहायता, महिला व दलित अधिकार पर प्रशिक्षित कर्मी, गवाह संरक्षण और शिकायत की समयबद्ध निगरानी आवश्यक है। अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों के लिए सुरक्षित आवास और त्वरित सहायता विकसित की जाए। पंचायत और नगरीय निकायों की हाशिए की महिला प्रतिनिधियों को स्वतंत्र वित्तीय अधिकार, प्रशासनिक प्रशिक्षण तथा हिंसा से सुरक्षा दी जाए। नीति-निर्माण में उनके संगठनों को परामर्श की औपचारिक भूमिका मिलनी चाहिए।

14. निष्कर्ष

डॉ. अंबेडकर का चिंतन हाशिए की महिलाओं के उत्थान को भारतीय लोकतंत्र की परिधीय समस्या नहीं, बल्कि उसकी नैतिक और संस्थागत परीक्षा बनाता है। जाति की पुनरुत्पत्ति में स्त्री पर नियंत्रण की पहचान, शिक्षा को मुक्ति से जोड़ना, श्रम और संपत्ति को नागरिकता का आधार मानना, परिवार को न्याय के दायरे में लाना तथा संविधान के माध्यम से समानता का अधिकार स्थापित करना उनके योगदान के केंद्रीय आयाम हैं। उनकी दृष्टि महिला को समुदाय की प्रतिष्ठा, श्रम की अदृश्य इकाई या राज्य की लाभार्थी नहीं, स्वतंत्र विवेक और अधिकार वाली नागरिक के रूप में स्थापित करती है।

समकालीन प्रगति के बावजूद हाशिए की महिलाओं के लिए अवसर और परिणाम समान नहीं हुए हैं। अंबेडकरी चिंतन की जीवित प्रासंगिकता तभी सिद्ध होगी जब उसका उपयोग जाति और लिंग के संयुक्त प्रभाव को समझने, संस्थाओं को उत्तरदायी बनाने और महिलाओं की स्वयं की आवाज को नीति के केंद्र में रखने के लिए किया जाए। सामाजिक लोकतंत्र कोई एक बार प्राप्त होने वाली अवस्था नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को दैनिक संस्थागत व्यवहार में रूपांतरित करने की सतत प्रक्रिया है।

संदर्भ

1. अंबेडकर, बी. आर. (1916). भारत में जातियां: उनकी संरचना, उत्पत्ति और विकास. डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान.
2. अंबेडकर, बी. आर. (1936). जाति का विनाश. डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान.
3. अंबेडकर, बी. आर. (1951). हिंदू संहिता विधेयक और मंत्रिमंडल से त्यागपत्र संबंधी वक्तव्य. डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान.
4. अंबेडकर, बी. आर. (1957). बुद्ध और उनका धम्म. सिद्धार्थ महाविद्यालय प्रकाशन.
5. भारत सरकार. (1950). भारत का संविधान. विधि और न्याय मंत्रालय.
6. चक्रवर्ती, यू. (2003). जाति का लैंगिकीकरण: नारीवादी दृष्टि से अध्ययन. स्त्री प्रकाशन.

7. गुरु, जी. (1995). दलित महिलाएं अलग तरह से बोलती हैं. आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 30(41–42), 2548–2550.
8. जेलियट, ई. (1992). अस्पृश्य से दलित तक: अंबेडकर आंदोलन पर निबंध. मनोहर प्रकाशन.
9. पाइक, एस. (2014). आधुनिक भारत में दलित महिलाओं की शिक्षा: दोहरा भेदभाव. रूटलेज.
10. पवार, यू., और मून, एम. (2008). हमने भी इतिहास बनाया: अंबेडकरी आंदोलन में महिलाएं. जुबान.
11. राव, ए. (2009). जाति का प्रश्न: दलित और आधुनिक भारत की राजनीति. कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस.
12. रेगे, एस. (1998). दलित महिलाएं अलग तरह से बोलती हैं: भिन्नता की आलोचना और दलित नारीवादी दृष्टिकोण. आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 33(44), 39–46.
13. रेगे, एस. (2013). मनु के उन्माद के विरुद्ध: ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पर अंबेडकर के लेखन. नवयान.
14. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय. (2024). आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट. भारत सरकार.
15. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय. (2026). राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6: प्रमुख निष्कर्ष. भारत सरकार.
16. शिक्षा मंत्रालय. (2026). अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2023–24. भारत सरकार.

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, conclusions, and opinions expressed in articles published in this journal are exclusively those of the individual author(s) and contributor(s). The publisher and/or editorial team neither endorse nor necessarily share these viewpoints. The publisher and/or editors assume no responsibility or liability for any damage, harm, loss, or injury, whether personal or otherwise, that might occur from the use, interpretation, or reliance upon the information, methods, instructions, or products discussed in the journal's content.